The House reassembled after lunch at forty-eight minutes past two of the clock.

Mr. Deputy Chairman in the Chair.

THE DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 1974

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now, we shall take up the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1974, for consideration. Yes, Mr. Mohsin.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, आपको जानकारी होगी कि श्री मनीराम बागडी . .

श्री उप-सभापति किस पर बोल रहे हैं ? जिस पर कहना है तो कहिये ।

SHRI LAL K. ADVANI (Delhi) : On a point of order, Sir.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । श्री मनीराम बागडी डेढ हजार आदमियों के साथ गिरफ्तार कर लिये गये हैं . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I have called Mr. Mohsin to move the Bill.

SHRI LAL K. ADVANI : Sir, I am on a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Do you want to raise the point of order about the Bill ?

SHRI LAL K. ADVANI : Sir, may I draw your attention to rule 64 of the Rules of Procedure? It says that a Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to the clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law.

Now, Sir, the hon. Minister proposes to move a motion for discussing the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1974. I have gone through it and I find that even though there is the Statement of Objects and Reasons appended to it and even though the memorandum regarding delegated legislation is appended to it, there is no financial memorandum attached to it Sir, I would like to point out that this Bill involves the creation of a new statutory post, namely, that of Director of Municipal Elections. This Bill also provides that the Municipal Corporation of Delhi will have to prepare separate electoral rolls of its own instead of using the existing ones which are framed by the Election Commission and which are used for the Lok Sabha and Metropolitan Council elections. The Municipal Corporation of Delhi does not want to proceed on the basis of the existing rolls. This involves an expenditure of lakhs of rupees.

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh) : Is there any difference in qualifications?

SHRI LAL K. ADVANI : I have to go into the merits of the case. It is wrong. Why should it be done? The decision is motivated.

I demand that these are items which involve expenditure and yet the House is not told what the expenditure involved is. Unless this is done, the Bill cannot be considered On this there have been clear rulings in our legislatures that unless a financial memorandum is provided, the discussion cannot take place.

SHRI MAHAVIR TYAGI : I think the consideration may be postponed, Sir.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN) : Sir, this Bill, of course, does not put any burden on the Consolidated Fund of India as the additional expenditure on account of setting up a separate election machinery to conduct the municipal elections and preparation and maintenance of separate electoral rolls for municipal wards as provided in the Bill will be met from the municipal funds as provided in section 105 of the Delhi Municipal Corporation Act.

SHRI MAHAVIR TYAGI : Is it not extravagance?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : That is a separate matter.

SHRI F. H. MOHSIN : That is a different matter altogether. I am only reply-

ing to the point raised by Mr. Advani. Sir, as the Central Government does not give any general grant-in-aid or subvention to the Municipal Corporation of Delhi, no expenditure from the Consolidated Fund of India is involved in this case. Hence there is no necessity...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I think it is all right.

SHRI LAL K. ADVANI : Is it all right? I would like you to consider it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I have heard your argument.

SHRI LAL K. ADVANI : I would like you to consider the point on legal aspects. It is going to be a convention. Is it a lapse on the part of the Government that...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : It is all right, Mr. Minister, yau may move the Bill.

SHRI F. H. MOHSIN : Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 be taken into consideration."

Sir, as the hon'ble Members are aware, the last elections to the Municipal Corporation of Delhi were held in May, 1971 and the term of the office of the present Councilors will expire in May next year. According to the existing provisions of the law, upon the completion of each census, the number of Councillors in the Corporation is to be determined subject to the maximum of one hundred, on the scale of one Councillor for not more than 20,000 of the population. As the population of the areas falling within the jurisdiction of the Corporation has gone up to 37.07 lakhs, it is no longer possible to stick to the criterion of one Councillor for every 20,000 of population. With a view, therefore, to obtain uniformity in the representation on the basis of population in the various wards, it is proposed to amend the Act, so as to provide that as far as practicable, the population of each ward shall be the same.

Further, Sir, the Act provides that the Parliamentary electoral roll relating to the areas comprised within a particular ward should be adopted for purposes of elections to the Municipal Corporation. The present electoral roll has been drawn up with 1st January, 1971 as the reference date and this roll will be totally out of date by the time the next elections take place. It is not possible for the Election Commission to undertake revision of the Parliamentary electoral rolls, specially for the purpose of the conduct of the municipal elections. The Election Commission have no doubt since ordered preparation of electoral rolls for the next Parliamentary elections with reference date as 1st January, 1975 but as the hon. Members are aware, the Parliamentary elections are normally held every five years while the municipal elections are held every four years and are thus not co-terminus. It has, therefore, become necessary to unlink this provision from the Parliamentary electoral roll by taking power to have a separate roll for election to the Corporation. The responsibility for the conduct of elections to the Corporation as well at present vests in the Commissioner of the Corporation. It will be of great advantage if this responsibility and also the task of preparing and revising the electoral rolls for the Municipal Corporation elections from time to time, is vested in an officer to be designated as the Director of Municipal Elections. Clauses 5 and 6 of the Bill seek to achieve these objectives.

Sir, apart from this consequent upon the revision of scales of pay of certain posts in the Corporation as a result of the Third Pay Commission's recommendations and Sivasankar Committee's report a large number of posts which were not intended to be placed within the consultation range of the Union Public Service Commission for purposes of their creation and making appointments thereto, would come within the Commission's purview and increase the work of the Commission. This would also result in the curtailment of the powers of the Municipal Corporation in these respects. Opportunity is therefore being taken to amend the Act suitably in respect of these matters also.

Sir, I Commend this Bill for the acceptance of the House.

The question was proposed.

श्री खुरशीद आलम खान (दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन जब सन् 1957 में कायम की गई थी तो उससे बड़ी-बडी उम्मीदें और बड़ी-बड़ी आशाए लगाई गई थी। इसका कारण यह था कि दिल्ली शहर जो हिन्दुस्तान का दारुसल्तनत है, न सिर्फ हिन्दुस्तान का दारुसल्तनत है, बल्कि पूरे मुल्क का दिल कहा जा सकता है, इसलिए इस कारपोरेशन से बड़ी आशाए थीं, बड़ी उम्मीदें थीं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी वे उम्मीदे पूरी नही हुई और कारपोरेशन उन उम्मीदो को पूरा नही कर सका। आप भी दिल्ली के लोगो को उसी तरह की परेशानिया है जिस तरह की परेशानिया कारपोरेशन बनने से पहले थी । मैं तो यह कहूगा कि लोगो की उन उम्मीदो पर पानी फिर गया है। अब हमें देखना यह है कि इसकी वजह क्या है ? मैं समझता हूं कि दरअसल दिल्ली कारपोरेशन बदकिस्मती से पार्टी पोलेटिक्स का शिकार हो गई है । होना तो यह चाहिए कि सिविल सर्विसिज के अन्दर कभी भी पार्टी पोलेटिक्स नहीं आना चाहिये और दिल्ली शहर के हरेक नागरिक को वे तमाम सुविधाएं और सहूलियते मिलनी चाहिये जो कि एक शहरी को मिलनी चाहिये और दिल्ली कारपोरेशन को ये सुविधाएं देने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिये। दिल्ली कारपोरेशन उस कोशिश में कहां तक कामयाब हुई है, यह हमारे लिए सोचने की बात है। मैं समझता हू कि अगर दिल्ली की जनता से पूछा जाये तो उनका जबाब होगा कि इसमे बहुत कमी रही है और इस कमी को कारपोरेशन आज तक पूरा नही कर सका है।

अब सवाल यह पैदा होता है-कि जो तरमीमी बिल यहां पर पेश किया गया है, मैं समझता हूं कि उसकी बहुत जरूरत थी और उसकी मैं ताईद करता हूं। जब यह पाबन्दी लगी हुई है कि हर वार्ड में ज्यादा से ज्यादा 20 हजार की आबादी होगी और आज जब दिल्ली की आबादी बढ़ गई है, तो इस बिल को लाना यहां पर बहुत जरूरी हो गया है। यह भी जरूरी है कि जब आबादी बढ़ जाय तो उस अबादी का डिस्ट्रिब्यूशन भी ठीक होना चाहिये और उसको बराबर-बराबर हिस्सो मे तकसीम किया जाना चाहिये ताकि चुने हुए मेम्बरों को अपने-अपने वार्ड के अन्दर लोगों की परेशानियो को दूर करने में मदद मिल सके। मैं यह मानता हूं कि दिल्ली कारपोरेशन दुनिया की सबसे बड़ी कारपोरेशन है। इसके अन्दर बहुत बड़ा रकबा है। इसके अन्दर केवल शहरी इलाका ही नही है, रूरल एरियाज भी इसमे है। इस म्युनिसिपल कारपोरेशन के अन्दर जो वार्डस है उनमें कुछ को अगर देखा जाये तो पता चलेगा कि इस कारपोरेशन ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन दिल्ली में ऐसे वार्डस भी है जिनको अगर देखा जाए तो पता चलेगा कि दिल्ली कारपोरेशन को अपनी जिम्मेदारियों का अहसास ही नही है। इसमें खास तौर से वे इलाके आते हैं जिनको दिल्ली का दिल कहते है, जो पुराना शाहजहांनाबाद है, जिसको वाल्ड सिटी कहते हैं, ये इलाके इसमें आते है। यहा पर न तो सफाई का इतजाम है, ना पानी का इंतजाम है और न ही बच्चों के लिये स्कूलो की बिल्डिंगें ही है। यहां पर किसी किस्म की कोई सहूलियत नही है। मैं यह यकीन के साथ कह सकता हूं कि उनके हको के मुताबिक उनको जो सहूलियतें मिलनी चाहियें, वे नही मिल रही है।

3PM

और अगर यह हकतल्फी किसी सियासी नजरिये के तहत है तो उससे ऊपर उठना चाहिये। जैसा मैंने पहले अर्ज किया, सिविल सर्विसिज रिसपांसीबिलिटी को हल करने के लिये सियासत से, पोलिटिक्स से, ऊपर जाना चाहिये। जो मुल्की मामलात होते है, जो कौमी मामलात होते है, उनमे तो सियासी आधार पर, सियासी बुनियाद पर आप बहस कर सकते हैं लेकिन सिविल मामलात में इस किस्म की चीजें कभी दर्मियान में नही लानी चाहिये।

दूसरी तरमीम यह है कि डाइरेक्ट इलेक्शन हमारी म्यूनिसिपल कारपोरेशन का हो। मैं समझता हूं यह बहुत ही मुनासिब कदम है, यह बहुत ही जरूरी चीज थी इसलिये कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन का इलेक्शन एक मुसलसल आपरेशन है। उसकी दिक्कतें अपनी दिक्कतें हैं, उसके खुद के

[श्री खुरशीद आलम खान]

मामलात ऐसे मामलात हैं जिसमें खास मशीनरी चाहिये जो खुद म्यूनिसिपल कारपोरेशन की हो जिसको वह हर तरह से इस्तेमाल कर सके, ज्यादा से ज्यादा तवज्जह दे सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने का हक मिल सके। आज क्या होता है कि जब इलेक्शन के वक्त हम वहां इलेक्टोरल रोल को देखते हैं तो बहुत से इलाके और खास तौर पर ऐसे इलाकें जिनमे खास-खास किस्म के लोग रहते है, पूरे इलाके के इलाके साफ होते हैं, उनमें वोटरों के नाम नही होते हैं हालांकि वे मुद्दतों से रहते आए है, उनकी पिछली कई नसलें उन इलाकों में रहती चली आई है। नाम बिल्कुल काट दिये जाते हैं, उनके नाम नहीं होते है, और जब—किसी सूरत से न हम उनके नाम ला सकते हैं न पैदायशी हक जो उन का है वह दिला सकते हैं, तो ऐसी हालत मे जब हमारा डाइरेक्टर आफ इलेक्शन मौजूद रहेगा तो यकीनन इस किस्म की शिकायत को आसानी से दूर किया जा सकेगा और जो लोगों का हक है कि वोट देना और वोट दे कर अपने नुमायदें चुनना, उनका यह हक जरूर मिल सकेगा।

मैं इस सिलसिले में यह भी अर्ज कर दू कि जो दूसरा तरमीम है कि यू०पी०एस०सी० से जो कंसल्टेशन किया जाए, जो सन् 1957 के मुताबिक प्राविजन था कि मिनिमम सैलेरी जिस ग्रेड में 350 रु० हो वह यू०पी०एस०सी० को रेफर किया जाता था, अब चूंकि ग्रेड रिवाइज हो चुके हैं लिहाजा यह भी जरूरी है कि इसमें तरमीम की जाए और जो मुनासिब ग्रेड अब मुकर्रर किये गए है उसके मुताबिक यह हक रिवाइज किया जाए। इस मिलसिले में भी बहुत सी बदउनवानिया हुई हैं, बहुत से तरीकेकार ऐसे इस्तेमाल किये गए हैं जो किसी सूरत से सही नही कहे जा सकते। होना यह चाहिये था कि ऐसी तमाम केटेगरीज, ऐसी तमाम सर्विसेज जिनमें 350 रु० से ऊपर की जगहे खाली होती हैं वो यू०पी०एस०सी० को रेफर की जाए और यू०पी०एस०सी० के मशविरे से उस पर तकरुरी की जाए लेकिन होता क्या है कि उसको मुल्तवी किया जाता है, उसको टाला जाता है, उसमें किसी सूरत में देरी लगाई जाती है और देर लगाने के साथ-साथ बहुत सी ऐसी मिसालें सामने आई हैं कि यू०पी०एस०सी० की जो रिकमण्डेशन थी, यू०पी०एस०सी० का जो मशविरा था, जो रिकमण्डेड कैंडिडेट थे उनकी तकर्रुरी नही की गई, उनको नजरअंदाज कर दिया गया। मैं समझता हूं, यह बहुत ही ना-मुनासिब तरीका है, इसको खत्म होना चाहिये, इसको रोकना चाहिये।

साथ मे यह भी कहा जाता है—म्यूनिसिपल कारपोरेशन की माली हालत बहुत बुरी है, उसकी फाइनेंशियल्न कंडीशन बहुत खराब है। यह भी अक्सर हुआ है कि फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से लोगों की तनख्वाह देर से मिलती है, लोगों को तनखवाहें नही मिलती, लोगों को तनख्वाहे नही दी जाती और वहां यह लिया जाता है कि बहुत सा रुपया न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के जिम्मे है और वह रुपया वापस नही किया जाता। मै समझता हूं इसकी जरूरत है कि सही मालूमात होनी चाहिये कि जो क्लेम दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने 4 करोड़ रु० से ज्यादा का कर रखा है वह कहां तक सही है? इसलिये कि एन०डी०एम०सी० के हिसाब के मुताबिक वह चन्द लाख से ज्यादा बकाया नही है और इस तरह से इस झगड़े में हम कब तक पड़े रहेंगे। इससे इम्पलायीज को कब तक नुकसान पहुंचता रहेगा।

इस सिलसिले मे यह अर्ज कर दूं कि दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन का जो सफाई का महकमा है उसमें ऐसा महसूस होता है कि उन्होने सफाई का बिलकुल काम ही बन्द कर रखा है। उनके जितने सफाई के ट्रक है, कूड़ा-करकट ले जाने के ट्रक हैं उनमें 70 फीसदी ट्रक ऐसे हैं जो मुद्दत से वर्कशाप में पड़े हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जह नही दी जाती है। तवज्जह दी जाती है तो ऐसा—मालूम होता है उनके पास पैसा नहीं है उनको ठीक किया जा सके, उनके पास पैसा नहीं है कि डीजल खरीदा जा सके, उनके पास पैसा नही है कि पुर्जे खरीदे जा सके और फिर उनको सर्विस मे लाया जा सके। यहां तक भी हुआ है कि बहुत से लोगों ने ट्रक किराये पर देने से इन्कार कर दिया इसलिये कि उनका

पेमेन्ट नहीं किया जाता था, इसके नतीजे के तौर पर लोगों को सख्त परेशानी होती है, कूड़ा-करकट नही हटाया जाता, गन्दगी नही हटाई जाती, सफाई नही होती। इसमें सफर कौन करते हैं ? किन को नुक्सान पहुंचता है ? जो मजदूर हैं, जहां पर थिक्ली पापुलेटेड इलाके हैं । पुरानी दिल्ली का जो इलाका है, जो वाल सिटी का इलाका कहा जाता है, वहां पर कोई सफाई नही होती है और न वहां पर कोई इंतजाम होता है । इस तरफ तवज्जो करना बहुत जरूरी है क्योंकि सब से जरूरी चीज तो पानी, बिजली और रोशनी मुहय्या करना है।

कुछ ऐसी चीजें है जिसकी वजह से हम यह उम्मीद करते थे कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन हमें देगा, लेकिन हमें ये चीजें नहीं मिल सकी और इस तरह से म्यूनिसिपल कारपोरेशन का होना या न होना हमारे लिये कोई फायदेमन्द साबित नही हुआ।

इसी तौर पर मैं एक और चीज की तरफ अपनी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने एक रिम्यूनेरेटिव प्रोजेक्ट कायम करने की कोशिश की और उसका यह ख्याल था कि इस प्रोजेक्ट से उसको काफी माली फायदा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिये दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और डी०डी०ए० ने फराकदिली से जमीन दी और यह जमीन इसलिये दी ताकि वह उससे फायदा उठाए और कारपोरेशन को एक मुस्तकिल आमदनी का जरिया हो जाए। हुआ यह कि उस जमीन का ज्यादा हिस्सा नीलाम कर दिया गया और नीलाम करने के बाद उससे जो रकम हासिल हुई जो कुछ रुपया हासिल हुआ, वह सब रुपया खर्च कर दिया गया और वह रुपया उस मद पर खर्च कर दिया गया जिसके लिये यह जायज नही था। मैं समझता हूं कि इस चीज को भी देखने की जरूरत है कि किसने इस जमीन का नीलाम करवाया, क्यों करवाया और किस तरह से किया ?

इसी तरह से म्यूनिसिपल कारपोरेशन की ओर से बहुत ज्यादा अखराजात किये जा रहे है जबकि जरूरत यह है कि आज हर मुहकमे मे अखराजात कम होने चाहिये। म्युनिसिपल कारपोरेशन इन बातों की तरफ तो ख्याल नही कर रहा है और वह बहुत सा रुपया आज स्टैच्यू लगाने में खर्च कर रहा है और बहुत सा रुपया इसी तरह के कामों में वह खर्च कर रहा है। ये इस प्रकार के अखराजात है जिन्हें मुल्तवी किये जा सकते हैं जिन्हे टाला जा सकता है। इस तरह के अखराजातो के बदले म्युनिसिपल कारपोरेशन दवाइयों में ज्यादा खर्च कर सकता है क्योकि आज अस्पतालो में दवाइयो की सख्त जरूरत है। आज वहा पर डाक्टर की जरूरत है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा मरीजो को सहूलियत पहुंचाने की जरूरत है न कि आज जगह-जगह पर स्टैच्यू पर खर्च करने की जरूरत है।

इसी तरह से जहां एजूकेशन का सवाल है, मैं समझता हूं म्युनिसिपल कारपोरेशन के पास प्राइमरी स्कूलों की पढ़ाई की जिम्मेदारी है। आज देखने में यह आता है कि प्राइमरी स्कूलो की तरफ तो तवज्जो नही दी जाती है, प्राइमरी टीचरों को स्कूलों में नही रखा जाता है, प्राइमरी स्कूलों की इमारत नहीं बनाई जाती है, वहां पर पढ़ने वालो के लिये न बैठने को कुर्सिया है, न मेज है और न ब्लैक बोर्ड है, लेकिन इन सब के बदले नर्सरी स्कूल खोले जा रहे हैं जब कि नर्सरी स्कूल खोलने की उसकी कोई जिम्मेदारी नही है। आज हालत यह है कि प्राइमरी स्कूल तो अच्छी तरह से चल नहीं रहे है, उनके लिये कोई सामान नही है और न पढ़ाने का कोई इंतजाम है, लेकिन नर्सरी स्कूल चलाए जा रहे हैं जबकि उनकी कोई जरूरत नही है। मैं समझता हूं कि नर्सरी स्कूलो को चलाने के पीछे कोई खास मकसद है, अगर ऐसा नही होता तो प्राइमरी स्कूलो को चलाने के बारे मे पूरी तरह से इन्तजाम किया जाता। प्राइमरी स्कूल ही हमारे बुनियादी स्कूल हैं जहा पर बच्चों का करैक्टर बनता है, जहां पर सब से पहिले बच्चे तैयार होते है। अगर हम उन बच्चों की तरफ पूरी तौर से तवज्जो नहीं देंगे तो आगे चलकर बच्चे किस तरह से पढ़ लिख सकेंगे और काबिल बन सकेंगे ?

इसके साथ ही साथ मै यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे यह मालूम हुआ है कि कारपोरेशन की तरफ से दरख्वास्त 4 करोड़ रुपया कर्ज देने के बारे मे दी गई है क्योंकि कारपोरेशन के

[श्री खुरशीद आलम खान]

पास रुपया नहीं है। कारपोरेशन मे यह मालूम किया जाना चाहिये कि यह 4 करोड़ रुपये की उसको क्यों जरूरत पड़ गई है? क्या कारपोरेशन की अपनी आमदनी नही है? क्या उनके पास इतना रुपया नही है? अगर है, तो फिर क्या हुआ पहिले तो यह देखना होगा कि कारपोरेशन को कितना हाउस टैक्स बकाया वसूल करना है और कितना टर्मिनल टैक्स बकाया पडा हुआ है। इस तरह के कितने और टैक्स बकाया पड़े हुए हैं, जो अभी तक वसूले नही गए है। अगर ये सब बकाया टैक्स वसूल कर लिये जाते और इसके बाद भी उसको रुपयों की जरूरत होती तो उसको दरख्वास्त देना चाहिये वरना नही देना चाहिये। टर्मिनल टैक्स की वसूलयाबी भी नही हो रहीं हैं, हाउस टैक्स की वसूलयाबी भी नही हो रही है। उसकी क्या वजह है मैं नहीं कह सकता। कोई खास वजह होगी जिसकी वजह से यह नही किया जा रहा है। लेकिन और कारपोरेशनो मे ऐसा क्यों नहीं होता? लाखों रुपए बकाया है और हम दूसरो से कर्ज मांगते हैं। मै समझता हूं कि वह कर्जा नही देना चाहिये। जब तक एक-एक पाई वसूल न हो जाय कर्जा नही देना चाहिये। यह भी देखना चाहिये कि जो कर्जा मांगा जा रहा है वह किन चीजों के लिये, किन प्रोजेक्टस के लिये मांगा जा रहा है, क्या वे वाकई में जरूरी है, क्या वाकई में उन पर खर्च करना जरूरी है, क्या हम उन अखराजात को रोक नही सकते इसलिये कि इस वक्त हमारे पास पैसे की कमी है। ज्यादा से ज्यादा रुपया आप ऐसे कामों में लगाएं जिससे आप लोगो को फायदा हो।

आपने हाल में मुख्तलिफ अखबारों में देखा होगा कि कारपोरेशन के जौनल आफिसेज में किस किस्म की बदउनमानिया सामने आई है। कही एक किस्म का स्कैंडल सामने आता है तो कही दूसरे किस्म का स्कैंडल सामने आता है। क्या कारपोरेशन में स्कैंडल ही रहेंगे। क्या हम लोग पानी के लिए हमेशा तरसते रहेगे और स्कैंडल्स की बारिश होती रहेगी? मै समझता हूं कि वक्त आ गया है कि ऐसा जायजा लिया जाए कि कारपोरेशन ने क्या अपने उन फरायज को अदा किया है जिनकी उस पर जिम्मेदारी थी। अगर कारपोरेशन उन फरायज को अदा नही कर सकता, सफाई नही करा सकता, सर्विसेज नही दे सकता तो क्या उसका बना रहना जरूरी है? मैं समझता हूं कि ऐसे इदारे को, ऐसे कारपोरेशन को कोई हक नहीं रहता कि वह बना रहे जबकि वह अपने लोगो को पूरी सर्विसेज न दे सके, सफाई का इन्तजाम न कर सके, पानी के लिये लोग वैसे ही तरसते रहें जैसे कारपोरेशन के न होने की सूरत मे तरस रहे थे।

एक और चीज जो मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा वह है प्रोवीडेन्ट फंड का मसला। एम्प्लाईज का प्रोवीडेन्ट फंड तो काटा जाता है लेकिन वह जमा नही कराया जाता है। यह किसकी जिम्मेदारी है? किसके कहने से ऐसा किया गया और क्यों उनके खिलाफ कार्यवाही नही की गई? एम्प्लाईज का पैसा काटकर और एम्प्लायर्स का कन्ट्रीब्यूशन मिला कर हमारा फर्ज है कि फौरन उसको बैंक में जमा किया जाय। उसको बैंक में जमा न करने की क्या वजह हो सकती है, उसको क्यों खर्च किया गया, किसके कहने से खर्च किया गया, क्या अथारिटी थी? अगर ऐसा हुआ तो प्रोवीडेन्ट फंड कमिशनर ने एक्शन क्यो नहीं लिया, म्युनिसिपल कमिश्नर इस बात को प्रोवीडेन्ट फंड कमिश्नर के नोटिस में क्यों नही लाया। जिसने ऐसी बदउनवानिया की उसको सजा दी जाय। इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हुआ अपनी जगह पर बैठता हूं।

श्री लाल आडवाणी (दिल्ली): उपसभापति जी, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिस दिन यह विधेयक सदन में पेश किया गया था उस दिन भी मैंने आपत्ति उठाई थी कि इस गम्भीर मामले मे कम से कम यह आवश्यक था कि आप यहा के नगर-निगम से सलाह करते, मशविरा करते, पूछते कि उनकी क्या राय है, हम इस प्रकार का परिवर्तन करने जा रहे है, उसमें उसको कुछ सलाह देनी है। मैं यह समझता हूं कि हिन्दुस्तान के संविधान में एक लेक्यूना है। उसमें लोकल बाडीज के लिये कोई व्यवस्था नही है।

असेम्बलियों के अधिकार, केन्द्रीय सरकार के ससद के अधिकार इन सबका निरूपण किया गया है, लेकिन स्थानीय सस्थाए जहा वास्तव मे लोक-तत्र की शुरुआत होती है, चाहे वह पंचायत हो, चाहे नगरपालिका हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, चाहे नगर निगम हो, उनके लिये चूंकि सविधान में कोई व्यवस्था नही है इसलिये कानून के द्वारा जो भी सरकार चाहे करती रहती है । आज का विधेयक मैं समझता हू कि इस प्रकार के मनमाने-पन का परिचायक है । स्थानीय संस्थाओं के क्षेत्र में अनावश्यक, अनुचित, अवाछनीय अति-क्रमण है जिसकी कोई जरूरत नहीं, जिसकी कोई उपयोगिता नही, जिसकी कोई जास्टिफिकेशन नहीं है । मै सबसे बड़ी हैरानी की बात यह मानता हू कि स्टेटमेंट आफ आब्जेक्टस एण्ड रीजन्स में बड़े अधिकारपूर्वक गृह मंत्री जी और आज श्री मोहसिन जी ने स्वय इस बात को दोहराया है जिसको मै पढ़कर सुना देना चाहता हू और मैं समझता हू कि ससद की दृष्टि से This is an instance of deliberate misleading of the House कहा गया है

"The next general elections to the Municipal Corporation of Delhi are due early in May 1975. It will be necessary to revise the electoral roll before then. The Election Commission will, in the normal course, be taking up the revision of the electoral roll of the pralia-mentary constituencies only during 1975 in preparation for the next General elections to the Lok Sabha. It will not be possible for the Election Commission..."

Mind you, this is the basis of the whole Bill.

"to undertake the revision of the electoral roll specially for the purpose of the conduct of the elections to the Municipal Corporation of Delhi."

अर्थात् इस बिल को प्रस्तुत करने का प्रमुख कारण यह है कि नगर निगम के चुनाव मई 75 में होने वाले हैं और उससे पूर्व नगर निगम के जो इलेक्टोरल रोल्स होंगे, जो अब तक लोक सभा के होगे उनको इलेक्शन कमीशन तैयार करने में असमर्थ है ।

उप-सभापति जी, मैने अभी अभी इलेक्शन कमीशन से जानकारी प्राप्त की है और मुझे उस अधिकारी का नाम बताने में भी संकोच नहीं है क्योंकि उन्होंने सोच विचार करके अन्त में मुझसे कहा कि मैं जैसे कह रहा हूं वैसे ही आप कहे । वह है सेक्रेटरी टु दि कमीशन, मि० ए० के० सेन । उनसे मैंने पूछा कि दिल्ली में इलेक्टोरल रोल्स के रिविजन का शैड्यूल क्या है । मै इतना ही जानना चाहता हू । लोक सभा के इलेक्शन होंगे 75 मे या 76 में, उन्होने समझा होगा कि शायद उसी सदर्भ में मैं पूछ रहा हूगा । 1970 मे भी बार बार यही कहा गया था कि लोक सभा डिजाल्व नही होगी और अंतिम जो उस समय शीतकालीन अधिवेशन हुआ उसमें भी कहा गया कि डिजाल्व नहीं होगी, मिड टर्म इलेक्शन नही होगा । हो सकता है हो, हो सकता है न हो । लेकिन मै इस विधेयक की बात कर रहा हू कि मुझे सेक्रेटरी टु दि इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जहा तक दिल्ली के इलेक्टोरल रोल्स का सवाल है हमने हाउस टु हाउस, घर घर जाकर मतदाताओं को देखकर उनके आधार पर इन्युमरेशन का काम पहली नवम्बर से शुरू कर दिया है । We have started the process of enumeration in order to enrol all those voters who will be eligible on the 1st January 1975. क्योकि क्वालिफाइड डेट है 1 जनवरी 1975, 1 जनवरी 1975 को कौन कौन से मतदाता 21 साल के हो जायेंगे, इसके आधार पर हमने घर घर जाकर इलेक्टोरल रोल्स का इन्युमरेशन शुरू कर दिया है । उन्होंने फिर कहा कि 1 फरवरी को हम ड्राफट पब्लिक कर देंगे और फाइनेल पब्लिकेशन जो है वह 31 मार्च 1975 तक पूरा हो जायगा ।

श्री महावीर त्यागी : इसका इलेक्शन कब होगा ?

श्री लाल आडवाणी : मई में इलेक्शन होगा। उप-सभापति जी, ये जो कारण बताये गये हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हू स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रिजन्स को देखते हुए।.....

In my introductory speech, I have stated all these things.

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैंने कहा है आपने सुना नही।

श्री लाल आडवाणी : कहां बोला? आपने तो यह कहा कि यह सम्भव नही है इनके लिए इससे पहले करना, 1975 में ड्यू है।

श्री एफ० एच० मोहसिन . इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इस वक्त कर रहा है, यह भी मैंने बताया ।

श्री लाल आडवाणी : वह कहता है कि 31 मार्च तक हमारे पूरे के पूरे इलेक्टोरल रोल्स तैयार होगे ।

This is what the Election Commission says. So on this basis at least, it has no relevance.

आप उससे आगे कहिये। कम से कम स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स मे ऐसी अशुद्ध बात कहना, गलत बात कहना, मिसलीडिंग बात करना यह कम से कम सरकार को नहीं करना चाहिये। सरकार को यह कारण नही बताना चाहिये।

SHRI F. H. MOHSIN : To put the record straight, I have already stated that the Election Commission have no doubt since ordered preparation of electoral rolls for the next Parliamentary elections with reference to the date as 1st January 1975. This is what I have stated.

SHRI LAL K. ADVANI : Election Commission goes on preparing it throughout the country. So far as Delhi is concerned which is stated to be the main basis, why have you to prepare, the electoral roll separately? After all you have to justify. लाखो रुपये खर्च करने वाले है लेकिन क्वालिफिकेशन वही है। एक आदमी 21 वर्ष का होने के बाद लोक सभा के लिए वोट देने का अधिकारी है और अगर वह कारपोरेशन के लिये वोट देने का अधिकारी 18 साल में हो जाता है तो मै आपकी बात मान लेता कि कारपोरेशन की क्वालिफिकेशन्स अलग है इसलिये इलैक्टोरल रोल अलग होना चाहिये। लेकिन 58 से लेकर 1974 तक 16 साल तक इलैक्टोरल रोल वही रहा, कोई गलती नही हुई, कभी कोई शिकायत नही आई। अगर कोई शिकायत हुई तो वह लोक सभा के लिये भी हुई। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे. इलैक्टोरल रोल बिलकुल गड़बड़ होता है। इलैक्टोरल रोल चाहे लोक सभा का हो या कारपोरेशन का हो वह ठीक होना चाहिये, वह अशुद्ध नही होना चाहिये, कमियां नहीं होनी चाहिये। जो मत देने के अधिकारी है उनका नाम उसमें होना चाहिए। इसमें किसी को कोई आपत्ति नही हो सकती। मैं इस बात का कारण समझना चाहता हूं कि कारपोरेशन के ऊपर लाखो रुपए का एडीशनल वर्डन क्यो डाला जा रहा है। मैं आरोप लगाना चाहता हू और अभी माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि इस मामले में सियासी राजनीति नही आनी चाहिये। मैं सहमत हू लेकिन मेरा आरोप इस बात पर है कि दिल्ली कारपोरेशन जब से भारतीय जनसंघ के हाथ आया है तब से लेकर इसके साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। इसके अधिकार कुंठित किये गये हैं। एक-एक करके इसके खिलाफ ऐसे कदम उठाये गये हैं जिससे यह आगे के इलेक्शन न जीत सके। इन्होने सोचा कि इसमें ऐसी व्यवस्था करें जिससे जनसंघ मैज्योरिटी में न जाए ।

श्री ओम महता · यह कैसे होगा ?

श्री लाल आडवाणी : यह मैं समझना चाहता हूं। यह मै आशंका इसलिए प्रकट कर रहा हूं क्योकि अभी तक मंत्री जी ने अपने भाषण में कोई ऐसी बात नही बताई कि कमिश्नर इलैक्शन इससे चलाएगा। कानून में लिखा

हुआ है। आपके स्टैट मेन्टस आफ आब्जैक्ट एंड रीजन्स में लिखा हुआ है a new post will be crated known as Director of Elections because it would be of advantage. To whose advantage?

कारपोरेशन का एडवाटेज, जनता का एडवान्टेज सैन्ट्रल गवर्नमैंट का एडवान्टेज हो सकता है

Subject to the superintendence, direction and control of the Central Government. I take strong objection to this.

मेरा कहना है कि इसको इलैक्शन कमीशन ही कंडैक्ट करे। आप कारपोरेशन के हाथ में पावर निकाल कर सैन्ट्रल गवर्नमैंट के हाथ में ला रहे हैं। यह आशंका, क्योंकि 1967 से ले कर जिस प्रकार से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुआ है, जिस प्रकार से दिल्ली कारपोरेशन के साथ हुआ है उसी के आधार पर बेस्ड है। आपने दिल्ली कारपोरेशन से दिल्ली ट्रांसपोर्ट छीन लिया। दिल्ली कारपोरेशन के पास जब ट्रांसपोर्ट थी तो मुझे भी उसके काम से सन्तोष नहीं था। शुरू शुरू में हमने दो साल काम किया और उसमें सुधार की कोशिश भी की। वहां ऐसी व्यवस्था भी है कि जो स्टेटुचरी कमेटीज हैं उसके चार आफिशियल मैम्बर्स होते हैं तो वे टास के आधार पर बदलते रहे हैं। हम बार-बार कहते हैं कि चार क्यों रखते हैं पांच रखो।

Why not make it five in order to enable the majority party in the Corporation to take decisions. It may be Jan Sangh today the Congress tomorrow. Whosoever it is, the policies of the Corporation should be implemented through the statutory committees.

वहां पर तो टास द्वारा चेयरमैन बनाया जाता है, यद्यपि कारपोरेशन में जनसंघ सत्तारूढ़ है। आप जानते हैं कि डी० टी० सी० के बारे में शिकायत है। श्री ओम मेहता जी जब वहां पर मंत्री थे तो उन्होंने ट्रासपोर्ट को अपने हाथ में ले लिया। केन्द्रीय सरकार के इस विभाग को अपने हाथ में लेने के वाद भी आप सारी स्थिति को देख लीजिये... *(Interruptions)* एक दिन आप क्यू मे खड़े होकर तो देख लीजिये इसमें कोई संदेह नही कि जब श्री ओम मेहता जी की छत्र छाया में यह विभाग आया है पिछले साल इस डी० टी० सी० को 14 करोड़ रुपये का लोन मिला है। जब हम लोग मांग करते रहे कि दो करोड का लोन दीजिये, तो हमको दो करोड़ का लोन भी नही दिया गया। यह भी सही है कि इस लोन के कारण 90 परसेन्ट नई बसे आ गई हैं, जब कि सन् 1971 तक इसमें 40 परसेन्ट पुरानी बसें थीं। उनको रिप्लेस कर दिया गया है। जब यहां पर 40 परसेन्ट पुरानी बसे थी तो दिल्ली में 25 सौ ट्रिप्स मिस होती थी और आज जब कि 90 परसेन्ट नई बसें है तो 60 हजार के लगभग ट्रिप्स मिस होती हैं। यह नमूना मैंने इसलिये दिया है कि आप कहते हैं कि आपने डी० टी० सी० को ठीक कर दिया है। आगे देखिये। स्लम डिपार्टमेन्ट कारपोरेशन के पास था और जनसंघ वाले जब जनता में अच्छा काम कर रहे थे तो स्लम डिपार्टमेन्ट को उनसे छीन लिया गया। जनसंघ वालों ने दिल्ली में झाड़ू हाथ में लेकर कुछ सफाई का काम करने का प्रयत्न किया तो इनको जेलेसी हो गई। पिछले चार साल से यह चर्चा चल रही है कि बिजली और पानी के विभाग जो कारपोरेशन के पास हैं, इनको भी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट अपने हाथ में ले। आप करिये। लेकिन पिछले दो साल से इसकी चर्चा ठंडी पड़ गई है। इसका कारण यह है कि दो साल से वहां पर चेयरमैन कांग्रेस का आदमी हो गया है।

श्री ओम मेहता : नहीं, नहीं।

श्री लाल आडवाणी : ओम मेहता जी, नही नहीं करने से ना नहीं हो जाता है।

I am giving you facts.

श्री ओम मेहता : टॉस भी आपके हक मे नहीं जाता है।

श्री लाल आडवाणी : जनता हमारे हक में जाती है। टॉस, लाटरी वगैरह तो आपके फेवर में जाती है।

[श्री लाल आडवाणी]

उप-सभापति महोदय, इस बिल मैं जो प्रमुख पहलू हैं उनकी चर्चा मैं करना चाहता हूं। इसमें पहला पहलू यह है कि सामान्यत: 20 हजार जनता पर कारपोरेशन का मैम्बर होगा। अब दिल्ली की आबादी बढ़ गई है। और यह जो 20 हजार का निर्वन्ध लगा हुआ है, उसे बनाये रखना सभव नही है। मैं यह मानता हूं कि दिल्ली की जनसंख्या बढ़ गई है। इस समय दिल्ली की जनसंख्या 46 लाख से भी ऊपर है और कुछ सालों में ही यह जनसख्या 50 लाख से भी ऊपर चली जाएगी क्योंकि दो लाख आदमी यहां पर हर साल बढ़ जाते है। जब दिल्ली की जनसंख्या एक इलाके में 50 लाख हो जाएगी तो इसका अर्थ यह है कि क एक इलाके में 50 हजार की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। अभी स्थिति यह है कि किसी किसी इलाके मे वोटिंग स्ट्रेन्थ 12 हजार, 13 हजार है तो किसी इलाके में 55 हजार और 60 हजार है। जिस इलाके का अभी उस तरफ के एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया और जिसको पुरानी दिल्ली का एरिया कहते हैं, चांदनी चौक का एरिया अगर उसको इस बिल के मुताबिक बनाया गया तो वहां पर लोगों का रिप्रजेंटेशन बहुत कम हो जाएगा। अगर 50 हजार की आबादी के इलाके का कोई कारपोरेशन का मेम्बर होगा तो उन लोगों की जो रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं, बिजली, पानी की, नालियों की, उनको वह किस प्रकार से पूरा कर सकेगा, देख सकेगा यह सोचने की बात है।

[Vice Chairman (Shri V. B. Raju in the Chair]

पार्लियामेंट का मेम्बर, विधान सभा का सदस्य जिसको प्रमुख रूप से जाकर कानून बनाना है, नीति निर्धारित करनी है उसके लिए तो ठीक है लेकिन कारपोरेशन के मेम्बर के लिए एक्सपेक्टेड नहीं कि वह जनता की जो रोज की दिक्कतें है, उसकी सिविक एमिनिटीज हैं, 50-60 हजार की कांस्टीट्युएंसी बनाने के बाद, उसकी ओर ध्यान नही दे सकेंगे। में इस बात को गलत समझता हूं कि 100 की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए। सौ की संख्या बढ़ानी चाहिए। डेढ़ सौ, दो सौ बनानी पड़े तो बनाइए। अगर आप इसके कारण कारपोरेशन की जो एसेन्शियल युटिलिटि है, उसका जो उपयोग है, उसकी जो आवश्यकता है, उसका जो राशनेल है, उसको खत्म मत कीजिए। इसलिए मैं इस प्रस्ताव के खिलाफ हूं कि अब 100 की संख्या ज्यो कि त्यो बनाए रखे और यह जो निबन्ध है 20,000 के ऊपर एक प्रतिनिधि होना चाहिए इसको काट दे। मैं इसके स्थान पर आवश्यक समझता हूं कि गांवो में कारपोरेशन दी सदस्य संख्या बढ़नी चाहिए ताकि हम सारी जनसंख्या के प्रतिनिधि होकर उनकी ठीक सेवा कर सकें।

इसका दूसरा भाग है इलेक्टोरल रोल का, उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं लेकिन मैं इसके बारे में जानना जरूर चाहूंगा। आपने मुझे टेक्निकल जवाब दे दिया :

"Because it is not from the Consolidated Fund of India..."

इसलिए फाइनेंशियल मेमोरेण्डम जरूरी नहीं है लेकिन टेक्निकली जरूरी है। इसके कारण वह बात चली गई। लेकिन क्या हम इस बात पर विचार ठीक तरह से कर सकते है। जब तक हमको जानकारी न मिले कि कारपोरेशन के ऊपर आपने एक्स्ट्रा वर्डन कितना डाला हम नहीं कर सकते हैं। आपको पता चलाना चाहिए कि कुल-मिला कर यह जो आप एक्स्ट्रा, एडीनशल इलेक्टोरल रोल, बनाएंगे दिल्ली में, उस पर कितना खर्च होगा कारपोरेशन का और क्या कारपोरेशन को आप वह ग्राण्ट देंगे? हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि कारपोरेशन मांग क्यों कर रही हैं? मांग इसलिए कर रही है कि उनके जो ड्यूज हैं वे ही पूरे नही होते हैं। पिछले अगस्त में हमारे दिल्ली कारपोरेशन के मेयर श्री केदारनाथ साहनी जी ने प्रधानमंत्री को एक लम्बी चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कारपोरेशन द्वारा पास किया गया एक विस्तृत प्रस्ताव भी उनके पास भेजा और बताया कि किस प्रकार हमारे कारपोरेशन को ब्राटल किया जा रहा है, किस प्रकार से अपंग बनाया जा रहा है। जो

हमारे ड्यूज हैं, जो कारपोरेशन को दिए जाने हैं, उनकी बाबत अभी वह सदस्य कह रहे थे कि यह बड़ा विवाद है एन. डी. एम. सी. और कारपोरेशन के ड्यूज के बारे में और वह सालों से चलता आया है । कानून के अन्तर्गत उस विवाद के बारे में आत्मनिर्णय करने का जो अधिकार है उसके अनुसार लेफ्टिनेन्ट गवर्नर को कुल मामला गया, बहुत विवाद हुआ, उसमें कई कमेटिया और उनमे कइ अधिकारी बैठे और अंत में जब वह कानून के अनुसार लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के पास गया तो लेफ्टिनेन्ट गवर्नर ने सब छानबीन करके 11 सितम्बर, 1973 को दिल्ली नगर निगम के मेयर श्री केदार नाथ साहनी को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने केटेगरिकली इस बात को स्वीकार किया कि हां ये ड्यूज हैं बराबर और यह निर्णय हो चुका है । उनका कहना यह है कि:

"Kindly refer to your letter No..... dated 29-8-73 regarding settlement of Corporation's dues.

हो गया, अब कुछ नही बचा ।

"The outstanding dues of the New Delhi Municipal Committee with regard to the payment of electricity tax have since been settled. The New Delhi Municipal Committee has been asked to make payment of electricity tax to the Corporation..."

एक साल से ऊपर हो गया है । यह सितम्बर, 1973 की बात हैं, आज हम नवम्बर 1974, में बात कर रहे हैं । एक साल के बाद उन्होंने ड्यूज नहीं दिए...

SHRI KHURSHED ALAM KHAN : What is the amount?

SHRI LAL K. ADVANI : The amount is Rs. 4.57 crores.

SHRI KHURSHED ALAM KHAN : The N.D.M.C. says it is Rs. 13 lakhs...

SHRI LAL K. ADVANI : I am not concerned with the N.D.M.C. I am concerned with the authority under the law namely, the Lt. Governor...

SHRI KHURSHED ALAM KHAN : Has he mentioned this in his letter?

SHRI LAL K. ADVANI : He has mentioned...

SHRI OM MEHTA : But not the Lt. Governor.

श्री लाल आडवाणी : लेफ्टिनेन्ट गवर्नर को चिट्ठी पढ़ कर मैं सुना रहा हूं —बालेश्वर प्रसाद जी की । आप सोचिए, अगर आज एन०डी०एम०सी० में जनसंघ की मेजारिटि होती और इस प्रकार से लेफ्टिनेन्ट गवर्नर का निर्णय हो जाता तो क्या उसको कोई चलने देता ? तो कुल मिलाकर साढ़े 5 करोड़ रुपये के ड्यूज कारपोरेशन को नहीं मिलेंगे तो कारपोरेशन जितनी ईमानदारी से जनता की सेवा करना चाहता है वह नहीं कर सकेगा । मैं समझता हूं, इसको कहने में कोई संकोच नहीं कि 1967 से आज तक दिल्ली में जब से कारपोरेशन में भारतीय जन संघ आई है, हमने जो काम किए हैं, जो सेवा की है, हमने जो परिश्रम किया है, हमने जिस प्रकार से दिल्ली को एक राजधानी के रूप में बनाने की कोशिश की है, दिल्ली के सब लोग उसकी तारीफ करते हैं । यह ठीक है, उसमें कमियां हैं, मैं इन्कार नहीं करता हूं, और उन कमियों को भी ठीक करने की कोशिश करनी है, लेकिन मेरा निवेदन है अगर कोई कमियां होती हैं तो उसका उल्लेख कारपोरेशन की मीटिंग में भी होता है, हमारे सदस्य स्वयं करते हैं । यहां पर जो हम सरकार के द्वारा ऐसा कानून पास कर रहे हैं, इस कारपोरेशन के अभी तक के सीमित अधिकारों को और संकुचित करना चाहते हैं, और सीमित करना चाहते हैं, और तंग करना चाहते हैं और कमजोर बनाना चाहते हैं, तो मैं उन सब बातों का हवाला देकर जरूर कहूंगा कि दिल्ली कारपोरेशन के साथ एक सौतेली मां का सा व्यवहार होता है । और दिल्ली कारपोरेशन के साथ दलगत राजनीति के आधार पर व्यवहार होता है । दिल्ली कारपोरेशन के जो ड्यूज हैं, वे अभी भी पूरे नहीं दिये जाते हैं । मैं भी कहूंगा और इसकी

[श्री लाल आडवाणी]

चर्चा भी होती है कि कारपोरेशन के इलेक्शन अगले साल पोस्टपोन होने चाहिएं। 1976 में लोक सभा के इलेक्शन होने वाले है और तब ही इसके इलेक्शन होने चाहिएं। मुझे ऐसा लगता है कि इस कानून के द्वारा इस बात की व्यवस्था की जा रही है। में जानना चाहता हूं What is the position?

अब नवम्बर मे आकर आप इस बिल को पास कर रहे हैं ताकि सारे का सारा मामला टल जाय। इसके कारण म्यनिसिपल कारपोरेशन के फिर से इलैक्टोरल रोल्स बनेंगे और फिर से डी-लिमिटेशन होगा और इस तरह से एक लम्बी चौड़ी बात हो जायगी। कारपोरेशन वाले चाहते थे कि डिलिमिटेशन कराके मई के महीने में इलैक्शन करवा लें, लेकिन आप ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसके कारण उनके लिए यह करना संभव न हो सके। मैं जानना चाहता हूं कि कारपोरेशन के इलैक्शन के सम्बन्ध में गवर्नमेंट आफ इंडिया का क्या स्टैंड है?

मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक को सर्वथा अनुचित मानता हूं, सर्वथा अवांछनीय मानता हूं और सर्वथा दलगत राजनीति से प्रेरित मानता हूं और इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

में यह निवेदन फिर से करना चाहता हूं कि स्थानीय संस्थाओं के संविधान में फिर से परिवर्तन होना चाहिए जिसके कारण कोई राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार मनमाने ढंग से उनके अधिकारों पर हस्तक्षेप न करे।

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : उप-सभापति जी, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बिल को वापस ले लें। 1974 में, इस बीसवीं सदी में इस प्रकार का काला विधेयक लाना जनतंत्र का उपहास करना है। यहां पर बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी और सभी लोग यहां पर बैठे हैं और मैं चाहता हूं कि यह जो सरकारी पक्ष के जो लोग हैं, वे भी इस बात को सुनें। मै चाहता हूं कि ये सब लोग इसकी धाराओं को पढ़ें और इसके उद्देश्य को देखें कि आखिर सरकार का उद्देश्य क्या है और सरकार क्या चाहती है?

बड़ा हल्ला है कि यह जो बिहार में आन्दोलन हो रहा है वह आन्दोलन फासिस्ट है और इस चीज की संचालिका, सजग प्रहरी श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिनको जनतंत्र का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा वे इस बात को अच्छी तरह से समझ जायेंगे और इस विधेयक को देखकर भी समझ जायेंगे कि यह बिल जो है वह जनतंत्र का हत्यारा है इसकी धाराओं में जहां पर चुनाव के सम्बन्ध में व्यवस्था है, तो जहां चुनाव सम्बन्धी कोई व्यवस्था होती है तो पहिले वोटर लिस्ट को तैयार करने के सम्बन्ध में व्यवस्था होती है। अब वोटर लिस्ट कौन तैयार कर? श्रीमान, आप इस बिल के धारा पांच के सात को देखें जिसमें लिखा है "केन्द्रीय सरकार के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, नगर निर्वाचन, निर्देशक हल्कों में सभी निर्वाचक नामावलियों की तैयारी पुनरीक्षण और शुद्धि और निर्वाचन के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।"

यह निर्वाचक सूची तो केन्द्रीय सरकार के अधीन कोई अफसर तैयार करेगा। फिर हमें बता दिया कि वह कैसे ठीक रहेगी। जिसका नाम चाहो निकाल दो, जिस का नाम चाहो बढ़ा दो। एक बहुत ही प्रसिद्ध कांड हो गया है। एच० वी० कामथ जो लोक सभा के सदस्य कई बार रह चुके थे और विधान-निर्मात्री परिषद के सम्मानित सदस्य थे वोटर सूची से उन्हीं का नाम निकलवा दिया क्योंकि लोक सभा में वे प्रधान मंत्री को खटकते थे, प्रधान मंत्री की गलतियों को पकड़ लेते थे।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY

AFFAIRS (SHRI OM MEHTA) : Sir, It is absolutely wrong. There is nothing like that.

उन्होंने अपना नाम लिखाया नहीं, अब वे कहते हैं कि निकाल दिया। प्रधान मंत्री को क्या था कि रजिस्टर हुआ या रजिस्टर नहीं हुआ। जो सूची पबलिश हुई थी उसको देखकर नाम लिखाना चाहिए था। पहले वह पबलिश होती है, उसके बाद फैसला होता है। उसमें भी प्रधान मंत्री को लायेंगे तो क्या बात बनेगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० बी० राजू) : आपका मतलब क्या है।

श्री राजनारायण : मैं वही बता रहा हूं। माननीय ओम मेहता जिस तत्परता और शीघ्रता से उठे हैं उसी ने उनके मकसद और हमारे मकसद को साफ कर दिया। आज तक मुझे अपने नाम को लिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। आप भी जानते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० बी० राजू) : ठीक है।

श्री राजनारायण : तब तो आपको ओम् मेहता से कहना चाहिए था।

"Om Mehta, you are talking nonsense; sit down."

SHRI OM MEHTA : Sir, you decide whether he is talking sense or nonsense. I always talk sense.

श्री राजनारायण : .....मगर आपने यह नहीं कहा। 46 में हम वोटर रहे, 52 में वोटर रहे, 57 में वोटर रहे, 67 में वोटर रहे लेकिन 71 में कट गए।

श्री ओम मेहता : आपने वह जगह छोड़ दी होगी।

श्री राजनारायण : 76 में शायद हमारा नाम भी कट जाय। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं कि अगर रुपये में एक आना, दो आना ईमानदारी भी अदालत में रह गई तो इन्दिरा जी तो 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होंगी पक्के तरीके से। अब मैं अपनी बात पंडित प्रकाशवीर शास्त्री से ही कहवाया करूंगा। ये कागजात हैं कि प्रधान मंत्री ने क्या-क्या स्वीकारा है। *(Interruptions)*

श्रीमन्, इसी के साथ साथ मैं कहना चाहता हूं। इसमें प्रावधान है—निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर—"प्रत्येक हल्के के लिए निर्वाचक नामावलि, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा, जो सरकार या निगम का ऐसा आफिसर होगा जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त पदाविहित या नामनिर्दिष्ट करे, तैयार या पुनरीक्षित की जाएगी।" जो रजिस्ट्रीकरण करने का अफसर होगा उसको भी केन्द्रीय सरकार देगी यानी सारी शक्ति बुनियाद से केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले ली है। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका यह कारपोरेशन क्यों, म्युनिसिपल बोर्ड क्यों, टाउन एरिया, नोटीफाइड कमेटीज क्यों। अंग्रेज सरकार के जमाने में भी 1916 का जो म्युनिसिपल एक्ट हमारे यहां उत्तर प्रदेश में था उस एक्ट में भी इतनी पावर सरकार के हाथ में नहीं थी।

इस स्थानीय स्वायत्तता के माने क्या हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमैंट के माने क्या हैं? अगर इसमें स्थानीय स्वायत्तता कुछ है तो मैं यह कहना चाहूंगा वोटर लिस्ट तैयार करने की जो प्रक्रिया है आज इस विधेयक के जरिए केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले रही है। उसे अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को इससे विरत हो जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार से बहुत ही सफाई से मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार का सूची तैयार करने से कोई मतलब नहीं है। जो 18 साल का बालिग हो गया उसका अपने आप वोटर में नाम आ गया। अब तक चूंकि 1974 में विधेयक आ गया इसलिए मैं तो चाहता था कि यह 21 की जगह 18 रहे क्योंकि जब से हमने अपने देश में 18 वर्ष की बात कही है उसके बाद से दुनिया के अनेक देशों में, अमरीका, इंगलैण्ड आदि में 18 साल हो गया। आपको मालूम होगा कि इसकी मांग करने पर हमारी टांग टूटी है।

[श्री राजनारायण]

6 अप्रैल, 1970 को जब लाख डेढ़ लाख लोग प्रदर्शनकारी आये थे, उसमें 6 मांगों में हमारी एक मांग यह थी कि जिस प्रकार से हर काम के लिए 18 साल में आदमी बालिग बन जाता है, उसी तरह से वोट के लिए भी होना चाहिए। हम अपनी सपत्ति ले सकते हैं, बेच सकते हैं, बैनामे कर सकते है, मगर वोट नही दे सकते हैं, जब तक कि 21 साल के न हों। क्यों? यह सरकार समझती है कि देश का जो युवा तबका है वह सरकार के पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए नवयुवकों से यह सरकार डरती है और यह समझती है कि 21 की जगह 18 कर देंगे तो करीब 4 करोड़ जो वोट पड़ेंगे ये विरोध पक्ष को जायेंगे। आप देख रहे हैं कि अगर इस सरकार में तनिक भी जनतंत्र की गंध होती तो आज जो बिहार का युवा वर्ग इस सरकार के काले कारनामों के विरुद्ध उठ खड़ा हो गया है, उस युवा वर्ग की बात मान कर कुछ आदर्श उपस्थित कर सकते थे कि यह सरकार युवा वर्ग के प्रति अपने कर्त्तव्य को करने के लिए अग्रसर हो रही है। मगर उसके बावजूद भी 1974 में जो कारपोरेशन के लिए संशोधन का विधेयक आया है, उसमें 18 साल की अवस्था वाले युवक को बालिग मताधिकार के लिए इन्होंने नहीं माना है, यह क्या है? यह जनतंत्रीय पद्धति पर चलना है या जनतंत्रीय पद्धति के विनाश की राह पर चलना है। सीधे-सीधे सरकार इसको सोचे और बताये।

आप यहां नहीं थे, मुझे पहले से जानकारी नहीं थी कि यह विधेयक आज आयेगा। जब मैं सुबह आया तो मुझे यह बताया गया कि शैडयून्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स की रपट ली जाएगी वरना मैं लिख कर दे दिया होता।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० बी० राजू) : ऐजेन्डा पेपर्स में है।

श्री राजनारायण आप तो हमसे ज्यादा जानकार हैं। जो सरकार हम पर चलती है, इसके लिए कोई ऐजेन्डा है? सरकार के जी में जो आता है वह करती है?

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० बी० राजू) : यह सरकार नही करती, यह तो चेयर डिसाइड करता है।

श्री राजनारायण : यही चीज तो है जो यह चल रही है, उसका आप उल्टा बोल रहे हैं। ऐजेन्डा कल कोई दूसरा था लेकिन आपने देखा कि कल विहार पर बहस होगी। अगर आज सरकार उसको मानी न होती तो आज कोई एजेन्डा न चलता।

श्री ओम महता : एक तो इनकी बात मान ली फिर भी इनको गिला है।

श्री राजनारायण : मान लिया, लेकिन विरोध के बाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V B RAJU) : You can reserve it for tomorrow when you speak on Bihar.

श्री राजनारायण : इसमे सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन आफिसर है। हमने सोचा कि सहायक भी केन्द्रीय सरकार के पंजे से मुक्त हो। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन आफिसर को उसके कर्त्तव्यो का पालन करने के लिए एक से अधिक व्यक्तियो को सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रेशन आफिसरों के रूप में नियुक्त करेगी, ऐसा इसमें दिया है।

जो सहयोगी अफसर होगा उसे केन्द्रीय सरकार नियुक्त करेगी। वह केन्द्रीय सरकार के खूनी पंजे से अलग नहीं किया जाएगा। हम जनतंत्र के विद्यार्थी है, पालिटिकल साइंस के विद्यार्थी है, हम जानना चाहते है आखिर यह क्या हो रहा है। क्या इससे जनतंत्र का निर्वाह होगा? श्रीमन्, अगर हमारा प्रवर समिति मे जाने का संशोधन माना होता, तो उसकी परिधि को बढाने का हम सकल्प लाते। हम देखते है कि केन्द्रीय सरकार तानाशाही की प्रवृत्ति पर चल रही है और टाउन एरिया कमेटी, गांव पंचायत, नगर पालिका या महानगर पालिका

इन तमाम के हाथ से पुलिस का अधिकार भी अपने हाथ में ले रही है। आप देख रहे है बिहार में क्या हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नगर महापालिका में ऐसी गुजाइश हो कि दिल्ली की पुलिस नगर महापालिका के अधीन ही रहे। अगर हम कारपोरेशन, महानगरपालिका के महत्व को बढ़ाना चाहते हैं अथवा उत्तरदायित्व पूर्ण बनाना चाहते हैं तो हमको उसके कुछ अधिकार बढ़ाने पड़ेंगे। हम चाहते थे कि जब 1974 में यह विधेयक आए तो उसमें इस बात की गुजाइश हो कि पुलिस का अधिकार दिल्ली महानगरपालिका रखे और दिल्ली का प्रबन्ध पूर्णरूपेण महानगर पालिका के तहत रहे।

अगर आज यह व्यवस्था हो जाती, तो, श्रीमन्, आज हमारे मनीराम बागडी और करीब दो दर्जन लोग उनके साथ राष्ट्रपति भवन में गिरफ्तार न हुए होते। उनके साथ अभद्र व्यवहार न हुआ होता। दिल्ली की पुलिस महानगर पालिका के तहत रहती तो वह भद्र होती, वह नागरिक अधिकारो को समझती और केवल केन्द्रीय सरकार की सुरक्षा के लिए अपने कर्त्तव्यों का पालन न करती। यह क्या तमाशा है? यह राष्ट्रपति है या केन्द्रीय सरकार पति है। अजीब हालत है एक नागरिक के अधिकार का मखौल हो रहा है। राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, अभद्र व्यवहार किया जाता है। करीब 17-18 व्यक्तियों को ले जाकर के गिरफ्तार किया जाता है। यह मनीराम बागड़ी कोई मामूली आदमी नही है। मनीराम बागड़ी लोक सभा के माननीय सदस्य रहे है। प्रकाशवीर शास्त्री जी के साथ रहे हैं। हमारी पार्टी के जब डा० लोहिया जीवित थे तो उनके काल में मनीराम बागडी सोशलिष्ट पार्टी के लोक सभा के नेता रहे हैं। उनके साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया जाए यह ठीक नही है। मुझे समझ नही आता आखिर जनतंत्र कैसे चलेगा? जिस तरह से केन्द्रीय सरकार चाहेगी, जिस तरह से इन्दिरा गांधी चाहेगी उसी तरह से शासन चलेगा। मै कहना चाहता हूं कि यह जो 'मीसा' है इस बारे में हमारे आडवाणी जी अब बोल रहे थे, तब आपको बताया था कि यह 'मीसा' मैन्टेनेंस आफ इन्टरनल सिक्योरिटी एक्ट नही है, बल्कि यह मैन्टेनेन्स आफ इन्दिरा सिक्योरिटी एक्ट है, एम० आई० एस० ए०। इसलिए मैं यह कहना चाहता हू कि माननीय मंत्री जी जिसको हम बहुत चाहते है थोडा सा हम से पढ़ लें। मगर उनको फुर्सत है ही नहीं। वे बेचारे दिन-रात दौडते रहते हैं कि जी-हुजूरी कैसे करे।

श्री ओम् मेहता : अगर हम इनसे सबक पढ़ेंगे तो आप सोचे हम किधर जाएंगे।

श्री राजनारायण अगर आप हमसे सबक सीखेंगे तो चमक जायेंगे। चाहे थोड़ी सी कमी जरूर खाने-पीने, साज-सज्जा और रख-रखाव में आ जायेगा, लेकिन मनुष्य बन जाओगे और आप का व्यक्तित्व निखर जायेगा। मैं आज बिलकुल डंके की चोट पर कहने के लिये तैयार हूं कि आप पटना मे सब को बुला लीजिये, इंदिरा जी को बुला लीजिये, श्री जयप्रकाश जी को आप इस वक्त अलग रखिये, आप वोट लीजिये और जनता से पूछिये कि बिहार विधान सभा भंग हो या नही हो। मैं इस चेलेन्ज को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। मैं अभी श्री जयप्रकाश जी को टेलीफोन पर कह देता हूं कि आप डिक्लेयर कर दीजिये कि बिहार का आन्दोलन बन्द हो।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० वी० राजू) : आपको बिहार के बारे में चर्चा करने का मौका कल को मिलेगा।

श्री राजनारायण यहां पर जनतन्त्र की प्रतिष्ठा का नाम लिया जाता है। सी० पी० आई० वाले जनतन्त्र का नाम लेते हैं। जिन्दगी भर जिन लोगों ने जनतन्त्र की अवहेलना की, वे आज जनतन्त्र का नाम लेते है। यहां पर जनतन्त्र बचाओ के नाम पर रूसी व्यवस्था चालू करते हो। इसीलिये आज कल एक नारा दिया गया है कि—डांगे, इंदिरा

[श्री राजनारायण]

और मस्तान, बेच रहे हैं हिन्दुस्तान। आज गली गली में यह नारा लगा हुआ है। इस देश की जनता इस बात को भूली नहीं है।

SHRI OM MEHTA : Sir, I highly object to these words. He is repeating it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : Rajnarainji, let us come to the point.

श्री राजनारायण : अब आप बिल में निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण देखिये। इसमें लिखा है कि प्रत्येक हल्के के लिये निर्वाचक नामावली प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पूर्व, अर्हता की तारीख के प्रति निर्देश से ऐसी रीति से जो नियमों द्वारा विहित की जाये, तैयार की जायेगी और इस प्रयोजन के लिये बनाये गये नियमों के अनुसार अपने अन्तिम प्रकाशन पर तुरन्त प्रवृत्त की जायेगी।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि साधारण निर्वाचन के पूर्व किसी हल्के की नई निर्वाचक नामावली तैयार करने के बजाये उस हल्के के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलि को अपना लेना पर्याप्त होगा तो वह आदेश द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट कारणों से, यह निदेश दे सकेगी कि उस हल्के के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली इस प्रयोजन के लिये बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये साधारण निर्वाचन के लिये उस हल्के की निर्वाचक नामावलि होगी।

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि सरकार आदेश द्वारा ऐसा कर सकेगी। इससे बढ़ कर जनतन्त्र की बदमाशी और क्या होगी। हमारे एक अध्यक्ष थे वे बोलते थे कि जब तुम बोलते हो तो बिच्छी के डंक की तरह से मारते हो। मैं चाहता हूं कि इस सरकार को डक मारा जाये। अगर कोई पार्लियामेंटरी कांस्टिटुएंसी में इनको बहुमत मि गया और इनकी हकूमत हो तो ये साफ कह कि यहां पर निर्वाचक सूची बनाने की जरूरत नहीं है और पुरानी निर्वाचक सूची से काम चल जायेगा। दिल्ली में यह बेहुदा बात चल रही है। मैं समझता हूं कि यह पूरा का पूरा सम्पूर्ण विधेयक तूफानी बदतमीजियों से भरा है।

अब आप स्वायत्त शासन को लीजिये। स्वायत्त शासन के अन्तर्गत पानी, बिजली, सफाई, पढ़ाई, आवागमन और उस क्षेत्र की विकास की योजनायें सब लोकल बाडीज, कारपोरेशन के तहत रहनी

4 P.M.

चाहिये। जब कारपोरेशन श्री एल० के० आडवाणी जी के हाथ में रहेगा, तब ओम् मेहता कहेंगे कि बिजली का राष्ट्रीयकरण होगा, सरकारीकरण होगा और जहां कारपोरेशन ओम् मेहता के हाथ में आया तब कहेंगे कि बिजली जैसे भी चले, उससे भी खराब चले चाहे किसी को मिले या न मिले, उससे मतलब नहीं, लेकिन उसका नाम मत लो। इतने दिनों तक सदन में मैंने इस बात को सुना कि बिजली को सरकार अपने हाथ में ले लेगी...

श्री ओम् मेहता : जरूर ले लेंगे।

श्री राजनारायण : बिजली की व्यवस्था अपर्याप्त है, उचित नहीं है। सरकार को अगर लेना था तो सरकार को विधेयक के अन्दर उसकी चर्चा करनी चाहिये थी, सरकार को इसको ले आना चाहिये था।

श्री ओम मेहता : इसमे कोई सम्बन्ध नही है।

श्री राजनारायण : आखिर जब एक्ट में संशोधन हो रहा है...

श्री ओम् मेहता : पढ़ो तो मालूम होगा। पढ़ा ही नहीं।

श्री राजनारायण : अब, श्रीमन्, आगे चल कर देखा जाये। यह सरकार आज सारी की सारी ताकत इस संशोधन विधेयक के जरिये अपने हाथ में लेने का प्रयत्न कर रही है इसलिये मैं इस विधेयक का घोर विरोधी हूं। मैं चाहता हूं, इस विधेयक को सरकार वापस ले ले, अगर उसकी जनतन्त्र के प्रति तनिक भी आस्था हो। इसको लाकर सरकार जनतन्त्र के नाम पर जनतन्त्र की

हत्या कर रही है और जो हमारे मूल अधिकार हैं उनका हनन करने पर तुली हुई है। इसलिये मैं आपके द्वारा बहुत ही मजबूती के साथ इस विधेयक का विरोध करता हूं और चाहता हूं यह सरकार इस को वापस लेने की कृपा करेगी। इसको वापस लेने से सरकार की प्रतिष्ठा नही गिरेगी, बल्कि सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जब सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो सरकार की रक्षा भी होगी वरना अगर यह सरकार चाहे कि सारी ताकत अपने हाथ में लेकर पलटन और पुलिस की बदौलत इस देश की जनता पर शासन करे तो यह संभव नही है; क्योंकि यह राम का राष्ट्र है, यह कृष्ण का राष्ट्र है, यह महात्मा गांधी का राष्ट्र है, यह बुद्ध का राष्ट्र है। यहा बड़े बड़े आततायी राजाओं का विरोध हुआ है, बड़े-बड़े आततायी राजाओं का नाश हुआ है। इसलिये जो मौजूदा इन्दिरा सरकार है इसकी कोई ताकत नहीं है। यह सरकार कितने दिनों तक रह पायेगी। हम यह ओम् मेहता से भी कहना चाहते है और माननीय मंत्री जी जो इस विधेयक को इस समय चला रहे है उनसे भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में अब उनके लिये कोई सुरक्षा नही है, कांग्रेस पार्टी में रहने के बाद भी उनकी कोई श्योरिटी नही है। इसलिये वह समझदारी की बात करें, जनतन्त्र की अवहेलना न करें और ऐसे बेहूदा विधेयकों को इस सदन में प्रस्तुत करने की कुचेष्टा न करें। यह काला विधेयक है, इस काले विधेयक में सारी ताकत सरकार के हाथ में सौंप रहे हो। यह तानाशाही व्यवस्था का नाम होगा, इसको जनतन्त्र नहीं कहा जा सकता। चूंकि यह विधेयक जनतन्त्र का हनन कर रहा है, इसलिये मैं इस विधेयक का घोर विरोधी हूं। फिर भी सरकार से कहना चाहता हूं, सरकार जनतन्त्रीय पद्धति और प्रणाली में आस्था प्रगट करती है तो इस विधेयक को वापस ले ले।

RE SITTING OF THE HOUSE ON 14TH NOVEMBER, 1974

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (उत्तर प्रदेश) आपके द्वारा मैं एक बात संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। आज समाचारपत्रों में आया है कि लोक सभा का अधिवेशन 13 और 14 नवम्बर, दोनों दिन नही होगा। तो यहां की क्या स्थिति है?

श्री ओम् मेहता : (जम्मू और काश्मीर) आप उस समय नही थे। लन्च से पहले हाउस एडजार्न होने के समय मैंने बताया था कि आज चेयरमैन साहब ने इस बात की अनुमति दे दी है कि 14 तारीख को राज्य सभा में छुट्टी रहेगी।

श्री राजनारायण : (उत्तर प्रदेश) 13 और 14 है तो 15 तारीख को भी एक दिन के लिये बढ़ जाये। 15 को फ्राइडे है। जब हम 13 और 14 को नहीं बैठ रहे तो खाली गैर-सरकारी दिन के लिये क्यों बैठें?

श्री ओम् मेहता : आडवाणी जी आपके पास बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिये।

श्री लाल आडवाणी : (दिल्ली) छुट्टी करो। मुझे कोई आपत्ति नही है।

श्री राजनारायण : अब अपनी तरफ से ओम् मेहता हिम्मत के साथ कह दें। अपनी बात का अनादर मत कीजिये।

श्री ओम् मेहता : वह गैर-सरकारी दिन है। चलने दीजिये।

श्री राजनारायण : वह दूसरे सप्ताह में आ जायेगा।

श्री ओम् मेहता : वह अगले सप्ताह में दुबारा कैसे आ जायेगा?

श्री राजनारायण : न आये। छोड़िये इसको

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : Let us close this subject now.

THE DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMDT.) BILL, 1974—*Contd.*

श्री नत्थी सिंह (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी जो विधेयक सदन के सामने हैं, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। अभी मैंने विरोधी पक्ष के दोनो नेताओं के भाषण